## भारत सरकार परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद्



# GOVERNMENT OF INDIA ATOMIC ENERGY REGULATORY BOARD

केस फाइल नंबर Case File Number: MH-24818-NG-SU-E-

जारी करने की तिथि Issuance Date: 25/01/2023

001

दस्तावेज नंबर Document Number: 16-COMSUPPTA-116452

समाप्ति की तिथि Expiry Date: 25/01/2026

#### NUCLEONIC GAUGE में प्रयुक्त IRGD के लिए टाइप अनुमोदित उपकरण TYPE APPROVED EQUIPMENT FOR IRGD USED IN NUCLEONIC GAUGE

यह आपके दिनांक 11/01/2023 के आवेदन सं. 23-1039899 का संदर्भ है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 16 तथा 17 जो भी लागू हो, के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम 2004 के नियम 3 को पढ़ें, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) एतदद्वारा Endress+Hauser GmbH+Co. KG, India द्वारा निर्मित IRGD यूनिट मॉडल FQG66 के लिए रेडियोलॉजिकल संरक्षा दृष्टिकोण से भारत में बिक्री, स्थापना, संचालन, सर्विसिंग और रखरखाव केलिए अनुलग्नक-I में दिए गए तकनीकी विनिर्देशों के साथ टाइप अनुमोदन को नवीनीकृत करता है

This has reference to your application no. 23-1039899 dated 11/01/2023. In exercise of the powers conferred under Section-16 & 17 as applicable, of the Atomic Energy Act, 1962 read Rule 3 of the Atomic Energy (Radiation Protection) Rules 2004, the Atomic Energy Regulatory Board (AERB) hereby renews Type Approval from radiological safety view point for the IRGD Unit Model FQG66 manufactured by Endress+Hauser GmbH+Co. KG, India with technical specifications given in Annexure-I for sale, installation, operation, servicing and maintenance in India.

#### नियम एवं शर्तें TERMS AND CONDITIONS

- 1. इन नियमों और शर्तों को आपूर्तिकर्ता के प्राधिकरण के नियमों और शर्तों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। संभावित उपयोगिता को इस टाइप अनुमोदन और आपूर्तिकर्ता प्राधिकरण की एक प्रति प्रदान की जाएगी। These terms and conditions to be read in conjunction with terms and conditions of the Supplier's Authorization. A copy of this type approval and suppliers authorization shall be provided to prospective utility.
- 2. यदि मॉडल में विकिरण सुरक्षा को प्रभावित करने वाला कोई परिवर्तन किया जाता है तो इस टाइप अनुमोदन अमान्य हो जाता है। This type approval becomes invalid if any change/s is/are made in the Model, affecting radiation safety.
- 3. इस टाइप अनुमोदन की समाप्ति के बाद उक्त मॉडल की आपूर्ति इसके पुनः सत्यापन पर सशर्त है। The supply of the said model after expiry of this type approval is conditional upon its re-validation.
- 4. इस टाइप अनुमोदन को परिचालन अनुभव फीडबैक के आधार पर समीक्षा और संशोधन के अधीन किया जा सकता है। This type approval may be subjected to review and modification based on operational experience feedback.
- 5. इस टाइप अनुमोदित उपकरण की आपूर्ति अधिकृत आपूर्तिकर्ता(औ) द्वारा उस उपयोगकर्ता को ही की जाएगी, जिसने उपरोक्त उपकरण की खरीद के लिए एईआरबीसे अपेक्षित अनुमित प्राप्त की है और जैसा लागू हो, केवल अधिककृत परिसर में ही स्थापित किया जाना है। This type approved equipment shall be supplied by authorized supplier(s) to the user who has obtained requisite permission from AERB to procure the above equipment and to be installed only at authorized premises, as applicable.
- 6. आपूर्तिकर्ता The supplier shall,

- a) आयात, आपूर्ति, स्थापना के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें लागू होनेवाले उपकरणों की गुणवत्ता आश्वासन, सर्विसिंग और रखरखाव, पुर्जों की आपूर्ति, स्रोत प्रतिस्थापन, यूनिट का डीकमीशनन/हटाना और विकिरण स्रोत के सुरक्षित प्रबंधन के लिए उपयोगकर्ता की सहायता करना शामिल है। be responsible for import, supply, installation including performing quality assurance of equipment as applicable, servicing and maintenance, supply of spares, source replacement, decommissioning/dismantling of the unit and assisting the user for safe management of radiation source.
- b) उपयोगकर्ता को सभी प्रासंगिक दस्तावेज जैसे ऑपरेटिंग मैनुअल, टाइप अनुमोदन प्रमाणपत्र और घटकों के अंशांकन प्रमाणपत्र (जैसा लागू हो) प्रदान करें। दस्तावेज अंग्रेजी और/या क्षेत्रीय भाषा में होने चाहिए। provide all the relevant documents such as operating manual, technical catalogue, user manual, QA procedures, servicing and maintenance manual, type approval certificate and calibration certificates of components (as applicable) to the user. The documents should be in English and/or in regional language.
- c) सभी संबद्ध कर्मियों को विकिरण सुरक्षा और उपकरणों के संचालन प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे। be responsible for providing training on radiation safety and operating procedures of equipment to all the associated personnel.
- d) किसी भी दुर्घटना/घटना के बारे में एईआरबी को तत्काल सूचित करें, जिसमें विकिरण सुरक्षा निहितार्थ हो, जो पूरे विश्व में इसके उपयोग के दौरान उपकरण के साथ हुआ हो। inform immediately to AERB about any accident/incident, having radiation safety implications, occurred with the equipment during its use all over the world.
- e) यूनिट के आयात, आपूर्ति और स्थापना के बारे में एईआरबी को आवधिक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। submit the periodic status report to AERB about the import, supply and installation, of the unit.

सक्षम प्राधिकारी Competent Authority

DINESH KUMAR SHUKLA Chairman

MR. PRASAD SHRIKANT DANGE ENDRESS AND HAUSER INDIA PVT. LTD. 7TH FLOOR, 7B,GODREJ ONE, EASTERN EXPRESS HIGHWAY, PIROJSHAHNAGAR VIKHROLI EAST MUMBAI-400083, MAHARASHTRA

केस फाइल नंबर Case File Number: MH-24818-NG-SU- E-001	जारी करने की तिथि Issuance Date: 25/01/2023
दस्तावेज नंबर Document Number: 16-COMSUPPTA- 116452	समाप्ति की तिथि Expiry Date: 25/01/2026

### अनुलग्नक ANNEXURE-I

विवरण Details	
उपकरण का प्रकार Type of Equipment	IRGD
ਸਾੱਤਕ Model	FQG66
स्रोत Source	Co-60,Cs-137
महत्तम गतिविधि Maximum Activity	740,000 MBq
महत्तम वोल्टेज रेटिंग (kV)	NA
Maximum Voltage Rating (kV)	
महत्तम करेंट रेटिंग (mA)	NA
Maximum Current Rating (mA)	
महत्तम फोटोन ऊर्जा (MV)	NA
Maximum Photon Energies (MV)	
महत्तम इलेक्ट्रॉन ऊर्जा (MeV)	NA
Maximum Electron Energies (MeV)	
मूल ऊपकरण विनिर्माता	Endress+Hauser GmbH+Co. KG, Germany
Original Equipment Manufacturer	
मूल ऊपकरण आपूर्तिकर्ता	Endress+Hauser (India) Pvt. Ltd., India
Original Equipment Supplier	

सक्षम प्राधिकारी Competent Authority

DINESH KUMAR SHUKLA Chairman